भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4073

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षक हेतु शिक्षा

†4073. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले जिलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हेतु शिक्षा प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऐसे जिलों में शिक्षक हेतु शिक्षा को समर्थन देने हेतु विशेष छूट पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे जिलों के लिए आईटीईपी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएएसी मान्यता से छूट, संस्था के अस्तित्व के न्यूनतम वर्षों में छूट और 2026-27 के लिए विशेष एडमिशन विंडो प्रदान की गई है; और

(च) क्या इन उपायों से सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि और ऐसे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित, गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र

विकास हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के मानदंडों के अनुसार, अन्य के अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को मध्यवर्तनों के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के शिक्षकों के लिए नियमित निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) के साथ सहकार्यता की है।

(ग) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को चार (04) वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को अधिसूचित किया है। वर्तमान में, आईटीईपी को देश भर में चयनित एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रायोगिक चरण के रूप में शुरू किया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, एनसीटीई को आईटीईपी पायलट के संचालन के लिए देश के किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान से एनएएसी प्रत्यायन से छूट देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
